संख्या-341/2025/I/1105740/2025/23-11099(099)/142/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊः दिनांक 30-09-2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-16336/CE-HQ1/ISC/GKP/2025-26, दिनांक 16-09-2025, पत्र संख्या-16598/CE-HQ1/ISC/AZM/2025-26, दिनांक 22-09-2025, पत्र संख्या-16660/CE-HQ1/ISC/BAN/2025-26, दिनांक 23-09-2025, पत्र संख्या-16743/ CE-HQ1/ISC/GKP/2025-26, दिनांक 25-09-2025, पत्र संख्या-16819/CE-HQ1/ISC/BAR/2025-26, दिनांक 26-09-2025 एवं पत्र संख्या-16935/CE-HQ1/ISC/JHA/2025-26, दिनांक 28-09-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 07 चालू कार्य पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 3154.11 लाख (रूपये इकत्तीस करोड़ चौव्वन लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत/ बचत/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रा0ख0 कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में बी0एम0सी0टी0 मार्ग के किमी0 169 (एन0एच0-730के किमी0 599.00) से बाएं निकलकर जीरो सरैया खुर्द बिहार बार्डर तक (अ0जि0मा0) (लम्बाई 13.400 किमी0) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	4179.59 4140.74 710.23 3430.51	2377.34	300.00
2	नि0ख0 देवरिया	जनपद देवरिया में सलेमपुर लार मार्ग एवं लार बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 9.300 तक के भाग का सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 9.300 किमी0)	1911.42 1910.21 488.25 1421.96	1055.20	296.81
3	बलिया	जनपद बलिया में शिवपुर	3806.62 3806.62	2622.96	936.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	नि0ख0	दियर नम्बरी से प्रानपुर होते हुए बिहार बार्डर तक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.300 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7.00 मी0) का कार्य।	59.53 3747.09		
4	महोबा प्रा0ख0	जनपद महोबा में कबरई-पहरा सम्पर्क मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 9.300 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1820.92 1820.92 5.84 1815.08	375.66	200.00
5	प्रा0ख0 कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में एन0एच0-28 बी0 के किमी0-19 से दायें पडरौना होते हुए तमकुही बाजार मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 25.00 किमी0)	7765.80 7595.92 160.92 7435.00	2357.03	1000.00
6	प्रा0ख0 बरेली	जनपद बरेली में बल्लिया-शीशगढ़-बहेड़ी-रूद्रपुर (प्रमुख जिला मार्ग) मार्ग के कि0मी0 1.000 से 26.200 तक 02 लेन चौड़ीकरण का कार्य।	5208.95 5208.95 1419.21 3789.74	3669.21	120.53
7	प्रा0ख0 ललितपुर	जनपद ललितपुर में बार-बानपुर के अवशेष भाग के कि0मी0 17 (300) से 28 (320) तक (लम्बाई 11.020 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3352.67 3352.67 200.00 3152.67	1173.43	300.00
		योग:-			3154.11

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 31,54,11,000 (रूपये इकत्तीस करोड़ चौव्वन लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 505404 3371700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in